न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

विविध वाद संख्या–45 / 2024

U/S 139 of C.N.T. Act.

कामेश्वर प्रसाद

बनाम्

पूजा देवी

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया आवेदक कामेश्वर प्रसाद, पे0–स्व0 बुधन साव, सा0+थाना+जिला–लातेहार द्वारा अंचल अधिकारी, लातेहार के दाखिल खारिज वाद संख्या–14 / 22–23 से टोहा देवी के नाम पर कायम जमाबंदी को निरस्त करने के लिए छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–139 के तहत् आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि को पूजा देवी पति–अजित प्रसाद ग्राम–तेली मुहल्ला चौक, लातेहार थाना+जिला–लातेहार द्वारा क्रय कर लिये जाने कारण उन्हे पक्षकार बनाने हेतु दिये गये आवेदन के आलोक में पक्षकार बनाया गया तथा दोनों पक्षों को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्ष अपने–अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस वाद में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा लातेहार के खाता नं0–13 प्लॉट नं0–216 रकबा–0.02 ए0 आवेदक की रैयती भूमि है। उक्त भूमि पर उनके पूर्वजों के समय से शांतिपूर्ण दखल–कब्जा चला आ रहा है। वादगस्त भूमि का जमाबंदी उनके पूर्वज के नाम पर कायम है तथा लगान रसीद निर्गत हो रहा है। इसी बीच आवेदक को पता चला कि

2019

उसकी जमीन मौजा लातेहार के खाता नं0–13 प्लॉट नं0–216 रकबा 0.0$\frac{1}{2}$ ए0 भूमि का जमाबंदी नामान्तरण वाद संख्या–14/22–23 से किसी टोहा देवी के नाम पर परिवर्तित कर कायम कर दिया गया है। अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा आवेदक की भूमि रकबा–0.0$\frac{1}{2}$ ए0 का टोहा देवी के नाम पर कायम किया गया जमाबंदी गलत और अवैध है, क्योंकि टोहा देवी का उक्त जमीन से कोई सरोकार नहीं है और न हीं उनके पास कोई अधिकार स्वामित्व एवं दखल–कब्जा है। दिनांक 15.05.2023 के अंचल निरीक्षक, लातेहार के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक का भूमि पर भौतिक रूप से दखल–कब्जा है, जिसके आधार पर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, लातेहार द्वारा दिनांक 18.12.2021 को आदेश पारित किया गया है। विवादग्रस्त भूमि पर सभी अधिकार स्वामित्व एवं दखल–कब्जा आवेदक का है। फिर भी खाता संख्या–13 प्लॉट संख्या–216 रकबा–0.02 ए0 में से रकबा–0.0$\frac{1}{2}$ ए0 भूमि का अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा अवैध रूप से टोहा देवी के नाम पर जमाबंदी कायम किया गया, जिसकी जानकारी होने के बाद जमाबंदी को रद्द करने के लिए यह याचिका दाखिल किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह वाद चलने योग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा यह मामला मौजा–लातेहार के गत सर्वे खाता नं0–13, प्लॉट नं0–216, रकबा–0.0$\frac{1}{2}$ ए0 भूमि के टोहा देवी के नाम से खोले गये डिमाण्ड को रद्द करने के लिए दायर किया गया है। उस भूमि का जमाबंदी पूजा देवी के नाम से खोला गया है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में जमाबंदी रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह मामला म्यूटेशन से संबंधित है, जो Bihar Tenant Holding (Maintenace of Records) Act 1973 के अन्तर्गत आता है। याचिकाकर्ता कामेश्वर प्रसाद द्वारा Bihar Tenant Holding (Maintenace of Records) Act 1973 के अन्तर्गत मामला दायर नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता को टोहा देवी या पूजा देवी के

दाखिल खारिज के विरूद्ध कोई शिकायत थी, तो उन्हें दाखिल खारिज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अपील कर सकते थें। वास्तविकता यह है कि JBCJ 2022 पेज संख्या–525 एवं JACJ जुलाई 2022 के अनुसार कायम जमाबंदी को रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। वादग्रस्त भूमि से याचिकाकर्ता का कोई संबंध नहीं है। यह सुकन साहू की रैयती भूमि थी। सुकन साहू मृत्योपरान्त दो पुत्र अकलू साहू एवं मकलू साहू को अपने पीछे छोड़ गये। अकलू साहू के पुत्र बुधन साहू द्वारा यह भूमि पुनेश्वर प्रसाद गुप्ता पिता–रामसेवक साहू के साथ निबंधित केवाल के माध्यम से 22.08.1970 को बिक्री कर दिया गया। पुनेश्वर साव अपने नाम पर भूमि का दाखिल खारिज करवा लिए और अपना हक अधिकार का उपयोग करने लगे। पुनेश्वर साव ने यह भूमि 27.07.1987 को निबंधित केवाला के माध्यम से श्रीमति टोहा देवी पति–सीताराम साहू को बेच दिया। टोहा देवी उक्त भूमि का अपने नाम से दाखिल खारिज कराकर अपना हक अधिकार का उपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद टोहा देवी की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र प्रदीप कुमार गुप्ता दिनांक 26.02.2024 को निबंधित केवाला द्वारा पूजा देवी को भूमि बिक्री कर दिया गया। पूजा देवी उक्त भूमि का अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर अपने अधिकार का उपयोग कर रही है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को लम्बे समय से उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। उक्त आलोक में आवेदक कामेश्वर साव द्वारा दाखिल आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, राजस्व दस्तावेज एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकनोपरान्त निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आया।

1. अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा मौजा–लातेहार के खाता संख्या–13, प्लॉट संख्या–216 रकबा–0.0 $\frac{1}{2}$ ए0 भूमि का दाखिल–खारिज वाद संख्या–14/22–23 में दिनांक 06.04.2022

को आम इस्तेहार निर्गत किया गया है। निर्धारित तिथि तक किसी का आपत्ति आवेदन प्राप्त नहीं होने के उपरान्त कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर टोहा देवी पति–सीताराम साहू के नाम पर अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल–खारिज स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल–खारिज के प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है।

2. Bihar Tenant Holding (Maintenance of Records) Act. 1973 की धारा–14 की उप–धारा (2) के तहत् अंचल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पास अपील 30 दिनों के भीतर दाखिल किये जाने का प्रावधान है।

3. विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जिला निबंधक, पलामू से दिनांक 05.10.1970 को निर्गत केवाला की सच्ची प्रतिलिपि के अनुसार बुधन साहू पिता अकलू साव वो नाबालिक मीना कुमारी पिता–छेदी साव निवासी लातेहार द्वारा मो0–2000/–(दो हजार) रूपये में मौजा–लातेहार के खाता संख्या–13, प्लॉट संख्या–216 रकबा–0.0 $\frac{1}{2}$ ए0 भूमि पुरनेश्वर प्रसाद गुप्ता, पिता–श्री रामसेवक साव, सा0–लातेहार थाना–लातेहार के साथ बिक्री की गई है।

4. केवाला संख्या–7699 दिनांक 27.07.1987 के अनुसार पुरनेश्वर प्रसाद गुप्ता पिता–श्री रामसेवक साहू निवासी लातेहार द्वारा मो0–7000/–(सात हजार) रूपये में मौजा–लातेहार के खाता संख्या–13, प्लॉट संख्या–216 रकबा–0.0 $\frac{1}{2}$ ए0 भूमि टोहा देवी पति–सीताराम साहू, सा0–लातेहार थाना–लातेहार के साथ बिक्री की गई है।

5. केवाला संख्या–704 दिनांक 26.02.2024 के अनुसार प्रदीप कुमार गुप्ता पिता–स्व0 सीताराम गुप्ता वर्तमान निवासी लातेहार द्वारा मो0–125000/–(एक लाख पच्चीस हजार) रूपये में

मौजा–लातेहार के खाता संख्या–13, प्लॉट संख्या–216 रकबा–0. 0 $\frac{1}{2}$ ए0 भूमि पूजा देवी पति–अजित कुमार, सा0–लातेहार थाना–लातेहार के साथ बिक्री की गई है।

6. आवेदक द्वारा विपक्षी के केवाला को किसी सक्षम न्यायालय से अवैध घोषित किए जाने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–139 के तहत् दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, लातेहार को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

25/9

उपायुक्त,
लातेहार।

25/9

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.10.01 12:36:53 +05:30
Location: 192.168.25.143